न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 18/2019

अपीलांट्स–	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स –
1. तेजाराम पुत्र राजूराम 2. दुर्गाराम पुत्र राजूराम 3. बाबूलाल पुत्र नैनाराम 4. मनोहरलाल पुत्र नैनाराम 5. खेतुदेवी पत्नी राजूराम 6. पोकरराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी आलमसरिया उडासर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		1. पनाराम पुत्र समाराम जाति जाट निवासी आलमसरिया उडासर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 236 दिनांक 07.09.1998 जो तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री अर्जुनराम बोसिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 2 प्रफोर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 05.10.2021

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार धोरीमन्ना के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 236 दिनांक 07.09.1998 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के [illegible] आलमसरिया के खसरा नम्बर 26 व 27 रकबा क्रमशः 245–0[illegible] 07 बीघा भूमि पोकर, तेजा, नैना, दुर्गा पि0 राजु, पना[illegible]ता कौम [illegible] सा0 देह खातेदारान के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज [illegible] द्वारा समस्या सम[illegible] शिविर 1998 के तहत कैम्प उडासर में तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:27:45 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा खातेदारान द्वारा बंटवाडा हेतु सहमति पर उक्त विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 236 दिनांक 07.09.1998 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.07.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन मूल विभाजन इकरारनामा रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार गुडामालानी द्वारा भिजवाने में असमर्थता प्रकट की गई है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मौका कब्जा–काश्त अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक 236 दिनांक 07.09.1998 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलांट्स ने रेस्पोडेंट संख्या 1 का विश्वास कर खातेदारान के मध्य कब्जा एवं हिस्सा अनुसार संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन प्रस्ताव दिया एवं उसके कहे अनुसार कुछ खाली पेपरों पर हस्ताक्षर / अंगुष्ठ निशान किये जबकि उक्त पेपरों के संलग्न नक्शा में उस समय कोई रंग भरे हुये नहीं थे। अपीलांट्स द्वारा इस बारे में पूछे जाने पर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बताया कि बाद में पटवारी मौक पर कब्जा काश्त के अनुसार घर, टांकों को बिना प्रभावित करते हुये तथा आवागमन के रास्तों को ध्यान में रखते हुये ही सही रंग भर देंगे। वास्तविक स्थिति यह है कि मौके पर अपीलाधीन आराजी पर बंटवाडे में बताये रंग अनुसार अपीलांट्स काबिज न होकर उससे विपरीत काबिज हैं। विभाजन आदेश पारित करने से पूर्व आवेदन के तथ्यों एवं भौतिक कब्जे की स्थिति तथा खातेदारों की सहमति बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई पूछताछ नहीं की गई। अपीलांट्स एवं उत्तरदाता संख्या 1 के मध्य जिस प्रकार कब्जा का विभाजन हुआ था उस अनुसार मौके पर तरमीम नहीं की गई है। अपीलाधीन आदेश जो पारित किया गया है, उस आदेश में

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:27:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता सं. 01 के मध्य हिस्से को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, लेकिन जिस प्रकार भौतिक कब्जे का विभाजन हुआ था एवं मौके पर काबिज है, उस अनुसार तरमीम नहीं होने से अपीलाधीन आदेश दुषित हो गया है एवं मौके एवं रेकर्ड की भिन्नता के कारण विवाद है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा के इकरारनामा पर पारित आदेश अपास्त योग्य है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश के आधार पर जो तरमीम की गई थी उसकी जानकारी तत्समय अपीलकर्तागण को नहीं हो सकी तथा अपीलकर्तागण को उक्त तरमीम की जानकारी होने पर सही करवाने बाबत् जब उपखण्ड अधिकारी धोरीमना के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया एवं उक्त वाद को आदेश दिनांक 05.02.2019 इस आधार पर खारिज किया कि उक्त तरमीम बंटवाड़ा आदेश के आधार पर हुई है ऐसे में उक्त बंटवाड़ा आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील चाराजोही करे। इस पर अपीलकर्तागण ने तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष बंटवाड़ा आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 02.07.2019 को प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी को बताया गया कि इस कार्यालय में उक्त पत्रावली उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान होने की तारीख से अपील अन्दर मयाद पेश है तथा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट्स की अपील के तथ्यों की ताईद की गई तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के हिस्सों का विभाजन मौका पर कब्जा–काश्त अनुसार पुनः किये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

7. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा आलमसरिया के खसरा नम्बर 26 व 27 रकबा क्रमशः 245–04 एवं 00–07 बीघा भूमि पोकर, [illegible] पना वल्द सता कौम जाट सा0 देह खातेदारान के नाम [illegible] खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान द्वारा समस्या [illegible] शिविर [illegible] के तहत कैम्प उडासर में तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा खातेदारान द्वारा बंटवाडा हेतु सहमति पर उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:27:45 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 236 दिनांक 07.09.1998 पारित किया गया। इस विभाजन इकरारनामा में भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नही करवाई गई। इस प्रकार तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्य अनुसार खातेदारान के भौतिक कब्जे से विभाजन तरमीम भिन्न प्रकार से अंकित कर दी है। अपील के विचारण के दौरान रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब प्रस्तुत किया तथा अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मौका कब्जा काश्त अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नही करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 236 दिनांक 07.09.1998 अपास्त किया जाता है। वर्तमान में विवादित भूमि तहसील क्षेत्र धोरीमना के अन्तर्गत आती है अतः प्रकरण तहसीलदार धोरीमना को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:27:45 IST
Reason: SelfAttested